राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग–6)

☎ 0141-2227370 dsrdsap@rajasthan.gov.in Website rdprd.gov.in

क्रमांक एफ 3(01)ग्रावि/ ग्रुप–6/ डांग प्रस्ताव /2022 4819-52 जयपुर, दिनांक 10 MAR 2023

–: बैठक कार्यवाही विवरण :–

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.02.2023 को डांग, मगरा एवं मेवात क्षेत्रीय विकास योजना की प्रगति समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नांकित अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज।
2. शासन सचिव,ग्रामीण विकास।
3. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव,(एसएपी)।
4. परियोजना अधिकारी प्रशा.
5. परियोजना अधिकारी, (एसएपी)।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बारां, धौलपुर, झालावाड, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर (वीसी के माध्यम से)।
7. अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद् करौली एवं बून्दी (वीसी के माध्यम से)।

डांग क्षेत्रीय विकास योजना

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज ने योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 तक के स्वीकृत कार्यो की भौतिक प्रगति की समीक्षा की एवं 128 प्रगतिरत कार्यो के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् करौली बून्दी एवं बारां में बडी संख्या में कार्यो के अपूर्ण होने पर असंतोष व्यक्त करते हुये अविलम्ब विगत वर्षों के प्रगतिरत 128 कार्यों में से विवादित कार्यों का नियमानुसार निस्तारण करते हुऐं समस्त प्रगतिरत कार्यो को माह मार्च 2023 तक पूर्ण कर प्रगति को IWMS पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश प्रदान किये गये।
2. बैठक के दौरान योजनान्तर्गत समायोजित एवं असमायोजित राशि पर चर्चा की गयी जिसमें जिला बूंदी, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर की लम्बित असमायोजित राशि क्रमशः रूपये 25.03 लाख, 431.37 लाख, 289.95 लाख, 70.48 लाख, 89.16 लाख व 79.71 लाख थी। जिस पर शासन सचिव महोदया, ग्रावि, द्वारा जिला बूंदी, करौली, बारां, कोटा, सवाई माधोपुर एवं धौलपुर को निर्देशित किया गया है कि विगत वर्षो के स्वीकृत **(ऑफ/ऑनलाईन)** लम्बित कार्यों के विरूद्ध निम्नाकिंत निर्देश प्रदान किये गयेः–
   - आपके पीडी खाते में विगत वर्षो की उपलब्ध राशि का उपयोग विगत वर्षों के बकाया दायित्वों का भुगतान करने/असमायोजित राशि का शत प्रतिशत ऑफ/ऑनलाईन समायोजन करवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature valid
Digitally signed by Om Parmeshwar Sharma
Designation : Project Director Cum Deputy Secretary
Date: 2023.03.10 15:08:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3327748

- विगत वर्षों के स्वीकृत (**ऑफ/ऑनलाईन**) लम्बित कार्यों के विरूद्ध किसी कार्य की राशि वसूली योग्य हो तो नियमानुसार वसूली की कार्यवाही करे।
- उक्तनुसार अनुपालना करने के उपरान्त बचत राशि का परिकलन कर विभाग को अवगत करावें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

3. बैठक में वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमोदित किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिला करौली, बूंदी, बारां, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर एवं झालावाड कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां अपेक्षानुरूप जारी नहीं की गई है। कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं करने पर शासन सचिव महोदया, ग्रावि द्वारा गम्भीरता से लिये जाने पर संबंधित जिलों को निम्नाकिंत निर्देश प्रदान किये गये:–
   - आवंटित राशि के अनुरूप शत–प्रतिशत स्वीकृतियां आगामी दस दिवस में जारी करावें।
   - डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमोदित कार्यों के विरूद्ध जारी प्रथम किश्त की राशि का व्यय कर द्वितीय किश्त की डिमांड हेतु राज्य स्तर पर यथाशीघ्र प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित किया जावें।

<u>मगरा क्षेत्रीय विकास योजना</u>

4. शासन सचिव महोदया, ग्रावि, द्वारा मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2021–22 तक के स्वीकृत कार्यो की भौतिक प्रगति की समीक्षा की एवं 86 प्रगतिरत कार्यों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् भीलवाड़ा, राजसमंद एवं पाली को अविलम्ब प्रगतिरत 86 कार्यों को पूर्ण करने एवं प्रगति को IWMS पोर्टल पर अद्यतन करने के निर्देश प्रदान किये गये।
5. बैठक के दौरान योजनान्तर्गत समायोजित एवं असमायोजित राशि पर चर्चा की गयी जिसमें जिला राजसमंद, पाली, अजमेर एवं भीलवाड़ा की लम्बित असमायोजित राशि क्रमशः रूपये 7.87 करोड़, 2.85 करोड़, 0.36 करोड व 2.11 करोड़ थी। जिस पर शासन सचिव महोदया, ग्रावि, द्वारा जिला राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा एवं अजमेर को निर्देशित किया गया है कि विगत वर्षों के स्वीकृत (**ऑफ/ऑनलाईन**) लम्बित कार्यों के विरूद्ध असमायोजित राशि का शत्–प्रतिशत ऑफ/ऑनलाईन समायोजन किये जाने के उपरान्त बचत राशि का परिकलन कर विभाग को अवगत करावें।
6. बैठक में वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमोदित किये गये कार्यों की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान जिला राजसमंद एवं अजमेर को कार्यों की वित्तीय स्वीकृतियां आवंटित राशि के अनुरूप शत–प्रतिशत स्वीकृतियां अविलम्ब जारी करने के लिए निर्देशित किया गया ।

<u>मेवात क्षेत्रीय विकास योजना</u>

7. मेवात क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में अनुमोदित कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी कर प्रगतिरत कार्यों को 30 मार्च, 2023 तक पूर्ण करवाया जाकर प्रगति ई–वर्क प्रोर्टल पर अपलोड कराते हुए कार्यों को पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
8. मेवात योजना की समीक्षा के दौरान जिला–[illegible] गया कि योजनान्तर्गत 30 कार्यो के स्थान पर जिले के 37 कार्य प्रगति[illegible] 16 कार्यों पर प्राथमिकी दर्ज कराकर 91.47 लाख की वसूली की कार्यवाही प्र[illegible] है व 10

Signature valid
Digitally signed by Om[illegible]eshwar Sharma
Designation : [illegible]irector Cum Deputy Secreta[illegible]
Date: 2023.03.10 [illegible]:08:09 IST
Reason: Approved

कार्य PHED के कार्य पेंडिग तथा शेष 11 कार्यों की राशि 26.44 लाख के कार्यों की तत्काल वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद भरतपुर द्वारा अवगत कराया कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में जिले को कुल 10 कार्यों अनुमोदित किये गये है। जिनमें से जिले द्वारा 1 कार्य पर विवाद होने की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विवादित कार्यों को निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
10. समीक्षा बैठक में शासन सचिव महोदया द्वारा गत वर्षों के बकाया समायोजन के संबंध में निर्देशित किया कि जिला भरतपुर एवं अलवर समायोजन करने की कार्यवाही शीघ्र संपादित कर द्वितीय किश्त के प्रस्ताव मुख्यालय पर भिजवाये ताकि नियमानुसार राशि का आवंटन किया जा सके।

(ओमकारेश्वर शर्मा)
परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव (एसएपी)

<u>प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–</u>

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, डांग/मगरा/मेवात क्षेत्रीय विकास मंडल।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव– ग्रा.वि. एवं पंरावि ।
3. निजी सचिव, शासन सचिव–ग्रामीण विकास विभाग।
4. जिला कलक्टर, बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर ।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् बारां, बूंदी, धौलपुर, झालावाड, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ, भीलवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर ।
6. एसीपी/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे.एवं पदेन उप सचिव (एसएपी)

Signature valid
Digitally signed by Omkareshwar Sharma
Designation : Project Director Cum Deputy Secretary
Date: 2023.03.10 [illegible]:08:09 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3327748